

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 48/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 05.10.2020

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. फिरदौस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, (प्रोपराइटर: श्री मोहम्मद शबीर) VII/348A, कुमारानैल्लोर पीओ, वाद्दनचेरी त्रिचूर, केरला-680590	फ़ा सं. DRI/CZU/ VIII/48/Enq-1/ Int- 10/2019 दिनांक 24.08.2020, दिनांक 14.09.2020 के शुद्धिपत्र सह दूसरे पूरक कारण बताओ नोटिस के साथ पठनीय	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली (तालिका के क्रम सं. 1 से 3 के लिए)
2.	मै. सदर्न अरेकान्ट प्राइवेट लिमिटेड, 49/65, नयागंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश -208001 और श्रीऋषि कुमार गुप्ता , पुत्र स्वर्गीय श्री जगन नाथ गुप्ता, 14/102A, सिविल लाइंस	DRI/CZU/VIII/ 48/Enq-1/Int-8/ 2019 दिनांक 24.08.2020 दिनांक 14.09.2020 के शुद्धिपत्र सह दूसरे पूरक कारण बताओ नोटिस के साथ पठनीय	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.	

	कानपुर उत्तर प्रदेश-208001.			
3.	मै. एल मुरुगन ट्रेडर्स, (प्रोपराइटर: श्री पी लोगनाथ) V-996, प्लॉट सं. 17B, 17C & 20, सैक्टर-19, नई सब्जी मार्केट, वाशी तुरभे, नवी मुंबई-400075 और 3 अन्य.	फ़ा सं. DRI/CZU/ VIII/48/Enq-1/ Int-9/ 2019 दिनांक 14.09.2020 (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के सेक्शन 124 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस)	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.	
4.	मै. ए वी इंटरनेशनल, प्लॉट सं. 10, सैक्टर-29, पार्ट-1, हुडा, पानीपत, हरियाणा-132103 और श्री अमित केजरीवाल, 16, हुडा, सैक्टर-11, पानीपत, हरियाणा-132103	फ़ा सं. DRI/DZU/ 23/Enq/56/2016 (AV Int.) दिनांक 27.03.2017 (SCN No. 11/2017)	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली.	प्रधान आयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो- तुगलकाबाद, नई दिल्ली. (तालिका के क्रम सं. 4 और 5 के लिए)
5.	मै. ए वी इंटरनेशनल, प्लॉट सं. 10, सैक्टर-29, पार्ट-1, हुडा, पानीपत, हरियाणा-132103 2. मै. स्लिम, हाउस सं. 16, हुडा, सैक्टर-11, पानीपत, हरियाणा-132103 और 3. श्री सुरेंद्र गर्ग, पुत्र श्री शिव कुमार गर्ग, निवासी 318, सैक्टर-25, पार्ट-2, पानीपत, हरियाणा-132103.	फ़ा सं. DRI/DZU/ 23/Enq/56/2016/Pt. A.V. Intl. दिनांक 11.05.2020 (SCN No. 16/2020)	प्रधान आयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), गुप-II-G इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, गुप-II-G इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, दिल्ली. सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), गुप-II-G, इनलैंड कंटेनर डिपो-पंछी गुजरां, सोनीपात.	
6.	मै. बेंटेक इंडिया लिमिटेड, कस्बा इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, फ़ेस-II, प्लॉट सं. 11, कोलकाता-700053	फ़ा सं. DRI/ MZU/CI/Int-91/2019 दिनांक 07.09.2020.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (न्हवा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (न्हवा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू

<p>और श्री अनूप भारतीया, निदेशक, मै. बेंटेक इंडिया लिमिटेड, कस्बा इंडस्ट्रियल इस्टेटस, फ़ेस-II, प्लॉट सं. 11, कोलकाता-700053</p>		<p>प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क (एयरपोर्ट एवं एंडमिन), कस्टम हाउस, कोलकाता के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, प्रभारी अप्रेसिंग ग्रुप 5A & B.</p>	<p>कस्टम हाउस, रायगढ़.</p>
--	--	--	--------------------------------

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-30/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-चेन्नई, दिल्ली और मुंबईको इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें